अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

उपस्थिति :—श्री रूपराम कासनिया जोईया अधिवक्ता प्रार्थी
श्री सुभाष गर्ग अधिवक्ता अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांकः 10/3/25

प्रार्थना पत्र के सक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की चक नं0 7 एफटीपी के खाता सं0 195/208 के प0न0 216/245 मु0 21 किलानं0 6, 15 व प0न0 213/250 मु0 72 किलानं0 7, 11, 12, 13, 14, प०न० 217/248 मु0 55 किला नं० 11,12,19,20,21 कुल 3.036 है0 खातेदारी अंकित राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी को चक 7 एफटीपी में प0न0 216/245 के किलानं0 6,15 में जाने के लिए कोई रास्ता नही है । उक्त रकवा को प्रार्थी ने अप्रार्थीया से जरिये रजिस्टर्ड बयनामा खरीद किया था व खरीद के वक्त प्रार्थी व अप्रार्थीया के मध्य यह तय हुआ था कि अप्रार्थीया, प्रार्थी को प0न0 217/245 के किलानं0 10 में से उतर दिशा की तरफ पूर्व से पश्चिम लम्बाई में प्रार्थी सहदेव को रास्ता दिया है व इसकी लिखत भी की गयी थी, वास्ते मुलाहिजा

Scanned with CamScanner

फोटो कॉपी शपथ पत्र व जमाबन्दी अप्रार्थीया पेश है प्रार्थी को अपने खेत चक 7 एफटीपी के प0न0 216/245 के किलानं0 6,15 में आने जाने के लिए कोई स्वीकृत रास्ता उपलब्ध नही है जिसकी वजह से प्रार्थी को अपने खेत में सिचाई करने, सामान वगैरह ले जाने व काश्त करने में भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है व अपनी आराजी सही ढंग से फसल काश्त कर पूरा फायदा नही उठा सकते है। प्रार्थी अपनी आराजी में स्वीकृत रास्ता से प0न0 217/245 के किलानं0 10 तक अपने चाचा की आराजी में आता जाता हैं व आगे किलानं0 10 की उतरी दिशा की तरफ से पूर्व से पश्चिम लम्बाई से आवागमन करता है। प्रार्थी हमेशा से इसी रास्ता का उपयोग निरन्तर अपनी भूमि में आवागमन करता आ रहा है । अब अप्रार्थीया, प्रार्थी के आवागमन में बाधा कारित कर रही है। इसलिए अप्रार्थीया की आराजी के प0न0 217/245 के किलानं0 10 की उतरी दिशा मे पूर्व से पश्चिम लम्बाई में एक बिश्वा रास्ता प्रार्थी को अपनी भूमि में प्रवेश करने के लिए स्वीकृत किया जावे। प्रार्थी ने अप्रार्थीया को अपने रिहायशी ढाणी प0न0 217/245 के किलानं0 11 में जाने के लिए सवा बीघा में रास्ता दे रखा है। अगर अप्रार्थीया ने रास्ता चालू स्वीकार नही होने के कारण बंद कर दिया तो प्रार्थी को अपरिमेय क्षति होगी व परेशानी होगी। प्रार्थी को अपनी आराजी में प्रवेश करने के लिए कोई मंजूरशुदा रास्ता नही है । अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी को अप्रार्थीया की कृषि भूमि चक नं0 7 एफटीपी के प0न0 217/245 के किलानं0 10 में से उतरी दिशा में पूर्व से पश्चिम लम्बाई में एक गट्ठा रास्ता स्वीकृत किया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद अप्रार्थी सं0 1/1, 1/2, 1/3, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 न्यायालय हाजा न तो स्वयं न ही उनका कोई विधिक पैरोकार उपस्थित हुआ दिनांक 08.06.2022 को उक्त अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में ला गयी, अप्रार्थी स0 1/4, 1/5 की और से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया किया कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 में प्रार्थी की चक 7 एफटीपी के खाता सं0 195 / 208 के प०न० 216 / 245 मु० 21 किलानं0 6, 15 व प0न0 213 / 250 मु0 72 किलानं० 7,11,12,13, 14, प0न0 217/248 मु0 55 किलानं0 11,12,19, 20, 21 कुल 3.036 है0 खातेदारी अंकित राजस्व रिकार्ड होना स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की दफा 2 में दर्ज तथ्य कि प्रार्थी को चक 7 एफटीपी में प०न० 216 / 245 के किला नं0 6,15 में जाने के लिए कोई रास्ता नही है, अस्वीकार है। चक नं0 7 एफटीपी के प0न0 216 / 245 मु0 21 किलानं0 5 में पूर्व से पश्चिम, उतरी दिशा की तरफ स्वीकृतशुदा रास्ता है, जो प्रार्थी के नजदीक पड़ता है। यह कथन कि उक्त रकबा को प्रार्थी ने अप्रार्थीया से जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद किया था व खरीद के वक्त प्रार्थी व अप्रार्थीया के मध्य यह तैय हुआ था कि अप्रार्थीया, प्रार्थी को प०न० 217 / 245 के किलानं0 10 में से उतर दिशा की तरफ पूर्व से पश्चिम लम्बाई में प्रा महदेव को रास्ता दिया है व इसकी लिखत भी की गयी थी, अस्वकार है । विद्यादेवी द्वारा की गई लिखित का मुझ अप्रार्थी को कोई ज्ञान व इल्म नही है । प्रार्थना पत्र की दफा 3 में दर्ज तथ्य कि प्रार्थी को अपने खेत चक 7 एफटीपी के प०न० 216/245 के किलानं0 6,15 में आने

Scanned with CamScanner

जाने के लिए कोई स्वीकृत रास्ता उपलब्ध नही है जिसकी वजह से प्रार्थी को अपने खेत में सिचाई करने, सामान वगैरह ले जाने व काश्त करने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, अस्वीकार है। चक नं0 7 एफटीपी के प0न0 216/245 मु0 21 किलानं0 5 मे पूर्व से पश्चिम, उतरी दिशा की तरफ स्वीकृतशुदा रास्ता है, जो प्रार्थी के नजदीक पड़ता है। प०न० 217/245 किलानं0 10 में पश्चिमी – उतरी कोने में अप्रार्थी द्वारा एक कमरा का निर्माण किया हुआ है, मौका पर किला नं0 10 में कोई चालु रास्ता नही है तथा ना ही कभी कोई रासता किलानं0 10 में चालु रहा है तथा पटवारी रिपोर्ट के अनुसार भी प्रार्थी को सबसे नजदीक रास्ता किलानं0 5 में ही है, किलानं0 5 में प्रार्थी रास्ता स्वीकृत करवाता है तो मुझ अप्रार्थी को कोई आपति नही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251 ए के नये प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी को कम दूरी का रास्ता उपलब्ध है तो दूर के रास्ता से प्रार्थना पत्र पेश करने का कानूनी अधिकारी नही है व प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे। अतः जबाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारीज फरमाया जोव ।

तहसीलदार राजस्व टिब्बी के पत्रांक 1355 दिनांक 20.09.2019 द्वारा स्टेट जवाब/रिपोर्ट पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया। वकील प्रार्थी ने उक्त रिपोर्ट पर ऐजराज जाहिर करते हुए स्वंय पीठसीन अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण का निवेदन किया अप्रार्थी अधिकवता ने सहमति प्रकट करते हुए मौका निरीक्षण का निवेदन किया। न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 19.02.2025 को हल्का पटवारी के साथ मौका निरीक्षण कर फर्द मौका तैयार शामिल पत्रावली किया। मुताबिक मौका निरीक्षण चक 7 एफटीपी के प0न0 215/245, 216/245, 217/245 के किला न0 1 ता 5 में प्रत्येक किला में उतरी दिशा में पूर्व से पश्चिम गै0मु0 रास्ता राजस्व रिकोर्ड दर्ज है मौके पर प0न0 217/245 के मु0न0 22 के किला न0 10 में उतरी पश्चिमी कोने पर अस्थाई निर्माण है एंव गेंहु फसल काश्त है प0न0 217/245 के मु0न0 22 के किला न0 1 में पूर्वी दिशा में पगडडी रास्ता चालु है।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि चक 7 एफटीपी के प0न0 216/245 के किला न0 6,15 में आवागमन हेतु प्रार्थी के पास कोई रास्ता नही है उक्त किलाजात में प्रवेश हुत अप्राथीया ने प0न0 217/245 के किला न0 10 में उतर दिशा की तरफ पूर्व से पश्चिम लम्बाई में आवगमन हेतु रास्ता दिया है व इसकी लिखत भी करवाई गयी है। एंव प्रार्थी लगातार इसी रास्ते से अपनी खातेदारी भूमि में प्रवेश करता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करें उक्त प्रस्तावित रास्ता का रिकोर्ड में अंकन किये जाने का निवेदन किया। वकील अप्रार्थी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रस्तावित रास्ता के अलावा चक 7 एफटीपी के प0न0 216/245 के मु0न0 21 के किला न0 5 में पूर्व से पश्चिम उतरी दिशा की तरफ स्वीकृत शुद्धा रास्ता है जो प्रार्थी के नजदीक पडता है अतः प्रार्थी के पास कम दुरी का रास्ता उपलब्ध होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जावे।

Scanned with CamScanner

बहस उभयपक्ष सुनी जाकर बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया, हमारे द्वारा मौके पर बनाये गये नजरी नक्शे से जाहिर होता है कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता सरकारी रास्ते से लघुतम दुरी का नही है न ही प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता किसी स्वीकृत शुद्धा सरकारी रास्ते से मिलान करता है। सलंग्न नजरी नक्शे के अनुसार प्रार्थी के खेत की स्वीकृतशुद्धा गै0मु0 रास्ते से लघुतम दुरी मु0न0 21 के किला न0 5 के रकबे से होकर जाती है प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते की स्वीकृत शुद्धा रास्ते से दूरी अधिक है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए की उपधारा(1)(ख)ii में प्रस्तावित रास्ते का लघुतम या निकटतम रूट का प्रावधान है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के प्रावधानो से सुसंगत नही है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए खारिज किया जाता है प्रार्थी अपने खेत की मंजूर शुदा रास्ते निकटतम दुरी का रास्ता स्वीकृत करवाने के लिए सबंधित खातेदारों को पक्षकार बनाते हुए नवीन आवेदन करने के लिए स्वतंत्र रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 10/3/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner